कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक/ 3637 /छगदुमसं/क्षेत्र संचा./2025–26 दिनांक –20.01.2026

।। दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा सूचना–तृतीय ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधीनस्थ संयंत्रों, शीत केन्द्र एवं बल्क मिल्क कुलर सेन्टरों के दुग्ध संकलन मार्गो में दुग्ध संकलन वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष अवधि की अनुबंध के लिए सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट **www.cgcoopdairyfed.in** में उपलब्ध है। निविदा **दिनांक–03.02.2026 को दोपहर 3:00 बजे** दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम-उरला, पोस्ट-बी.एम.वाय. चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक/3637/छगदुमसं/क्षेत्र संचा./2025-26 दिनांक 20/01/2026

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा सूचना-तृतीय

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधीनस्थ संयंत्रों, शीत केन्द्र एवं बल्क मिल्क कुलर सेन्टरों के दुग्ध संकलन मार्गों में दुग्ध संकलन वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष अवधि की अनुबंध के लिए सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट **www.cgcoop-dairyfed.in** में उपलब्ध है। निविदा **दिनांक** 03.02.2026 को दोपहर 3.00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

पत्रिका एवं समवेत शिखर –रायपुर–21.01.2026

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। कार्य योजना दुग्ध संकलन परिवहन निविदा ।।

01	निविदा कार्य–दुग्ध संकलन परिवहन बाबत्	
02	निविदा अवधि	दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 / 31.03.2028 तक
03	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र केवल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाईट **www.cgcoopdairyfed.in** से दिनांक 21/01/2026 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
04	निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि जमा माध्यम	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/– एवं निर्धारित मार्गवार धरोहर राशि ऑनलाईन माध्यम से निम्नलिखित बैंक खाता में जमा किया जाना है। **Bank Details: Bank Name: State Bank of India** **Account No. : 10822704894** **IFSC Code: SBIN0000461** **Branch: Main Branch Raipur**
05	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान **(निविदा केवल डाक द्वारा स्वीकार्य)**	दिनांक 03/02/2026 को दोपहर 02.00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर प्राप्त निविदायें ही शामिल की जावेगी :– **प्रबंध संचालक** **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित** **ग्राम–उरला, पोस्ट बी.एम.वाय. चरौदा** **जिला–दुर्ग (छ0ग0) पिन कोड 490025**
06	निविदा खोलने की तिथि	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 03/02/2026 को दोपहर 03.00 बजे प्राप्त निविदायें खोला जायेगा।
07	निविदा खोलने की प्रक्रिया	सर्वप्रथम लिफाफा ''**द**'' खोलकर लिफाफा ''**अ, ब, स**'' प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् लिफाफा ''**अ**'' को खोलकर जमा किए गए निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि प्रति प्राप्त किया जाएगा एवं सही पाये जाने पर, लिफाफा ''**ब**'' खोलकर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच की जायेगी। लिफाफा ''**ब**'' में वाहन संबंधित सभी दस्तावेज सही पाये जाने पर लिफाफा ''**स**'' दर पत्रक खोला जायेगा।

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाष घोषित होने पर, निविदा अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए, समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्ते

(1) **कार्य का विवरण (Scope of Work)**

(i) दुग्ध संकलन परिवहन कार्य— दुग्ध समितियों से निकटम बी.एम.सी., शीत केन्द्र अथवा संयंत्र तक।

(ii) शीतलीकृत दुग्ध का परिवहन कार्य— बी.एम.सी. से दुग्ध शीत केन्द्र अथवा संयंत्र तक।

– दुग्ध संकलन का कार्य संलग्न दुग्ध संकलन मार्गो से परिशिष्ट—04 के अनुसार किया जावेगा।

– इस कार्य हेतु निम्नलिखित वाहनो की आवष्यकता होगी।

(1)	ए.सी.ई. / समकक्ष	— क्षमता 1.0 मीट्रिक टन	संख्या—07
(2)	मैक्स / पिकअप / समकक्ष	— क्षमता 1.5 मीट्रिक टन	संख्या—11
(3)	407 / समकक्ष	— क्षमता 2.5—3.0 मीट्रिक टन	संख्या—02

वाहनो की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है।

(2) **पात्रता मापदंड (Elgiliblity Critearea)**

– **दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु वाहन मॉडल 2016 से 2020 तक के वाहनो को एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। तथा 2021 या इसके बाद के वाहनो को 2 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा।**

– दुग्ध संकलन कार्य हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2021 या इसके बाद को प्राथमिकता दी जावेंगी। वर्ष 2021 के पूर्व के वाहनों के निविदा भरने की दषा में निविदाकार को यह सुनिष्चित करना होगा की वाहन अच्छी स्थिति में उचित रख—रखाव के साथ रखी गई हो तथा जीवित पंजीयन एवं बीमा हो। यदि अवलोकन में वाहन उपयुक्त नहीं पाई गई तो एक सप्ताह में अर्नेस्ट मनी राजसात कर निविदा निरस्त किया जाकर अन्य निविदाकार को अवसर दिया जा सकेगा।

– **वाहन निविदाकार के नाम से होना चाहिए एवं आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।**

– ठेकेदार प्रतिबंधित अथवा कालीसूची में किसी भी विभाग द्वारा नही डाला गया है, इससे संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र।

– वाहन का रजिस्ट्रेषन, अद्यतन रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, जो नया वाहन लगायेगे वे वाहन का कोटेषन पेपर, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस संलग्न करेगें। **''ब'' लिफाफा में उपरोक्त सभी दस्तावेज नही होने पर निविदा निरस्त की जायेगी।** नये वाहन बी.एस.—6 मॉडल के ही मान्य किया जावेगा।

उपरोक्त से संबंधित प्रमाणपत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(3) **अर्नेस्ट मनी (EMD)**

अर्नेस्ट मनी (EMD) की राशि ऑनलाईन निम्नलिखित बैंक खाता में जमा कर प्रति प्रस्तुत किया जाना है

Bank Details: Bank Name: State Bank of India
Account No. : 10822704894
IFSC Code: SBIN0000461
Branch: Main Branch Raipur

क्र.	वाहन का प्रकार	धरोहर राशि रू.
1	ए.सी.ई. / समकक्ष	10000.00
2	मैक्स / पिकअप / समकक्ष	10000.00
3	407 / समकक्ष	15000.00

– सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी रखी जाकर, असफल निविदारो की अर्नेस्ट मनी कार्य आदेश जारी होने के एक माह पश्चात् वापस कर दी जावेगी।

– अनुबंध अनुसार वाहन का संचालन नही करने पर (दण्डात्मक कार्यवाही) प्रतिभूति राषि राजसात की जावेगी।

(4) **दर प्रस्ताव की वैद्यता (Rate Validity of Offer)**

– निविदा दर प्रस्ताव अवधि 90 दिवस होगी।

(5) **दण्ड (Penalty)**

– दुग्ध परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने पर अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार निर्धारित राशि की वसूली की जावेगी।

(6) **भुगतान (Peyment Terms)**

– द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार (01–15 एवं 16–31) की अवधि में देयको का भुगतान किया जावेगा। वाहन ठेकेदार प्रत्येक पखवाड़े के देयक 7 दिवस के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगें।

(7) **निविदा की प्रक्रिया (Bidding Process)**

– निविदा प्रपत्र बिना कांटछांट / काटपीट के स्वच्छ अक्षरो में होना चाहिए, जिसे बंद लिफाफे में एवं लिफाफे के उपर कार्य विवरण अर्थात् निविदा क्रमांक एवं दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक, निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर सहित आवश्यक रूप से अंकित कर जमा किया जावे। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते समय कांटछाट / काटपीट की जाती है तो निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

— निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

लिफाफा—(अ)

इस लिफाफे में परिशिष्ट—1, निविदा प्रपत्र एवं अर्नेस्ट मनी जमा किए जानें की पुष्टि हेतु जमा किए गए माध्यम की छांयाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे के उपर **दुग्ध परिवहन हेतु निविदा, अर्नेस्ट मनी— लिफाफा—(अ) सुस्पष्ट रूप से लिखा हो** एवं लिफाफा सीलबंद किया गया हो।

लिफाफा—ब

इस लिफाफे में परिशिष्ट—2 में समस्त जानकारी भरकर, पात्रता संबंधी कंडिका—2 के अनुसार समस्त अभिलेख रखे जावे। लिफाफे के उपर **पात्रता संबंधी दस्तावेज— दुग्ध संकलन परिवहन कार्य लिफाफा—(ब) सुस्पष्ट रूप से लिखा जावे।**

लिफाफा—स

इस लिफाफे में परिशिष्ट—3 में दर पत्रक एवं समस्त जानकारी भरकर प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर **दर पत्रक—दुग्ध संकलन परिवहन कार्य लिफाफा—(स) सुस्पष्ट रूप से लिखा जावे।**

इन तीनो लिफाफे को अच्छी तरह सीलबंद करके एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किया जावें एवं लिफाफे के उपर स्पश्ट रूप से **दुग्ध संकलन कार्य हेतु निविदा व दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक व विवरण का उल्लेख करते हुए लिफाफा—(द) लिखा जावे।**

इसके उपरांत **लिफाफा—(द) को सीलबंद करके प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय पूर्व भेजा जावे।**

निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नही की जावेगी।

(8) **निविदा खोलने की प्रक्रिया—**

— सर्वप्रथम लिफाफा—(द) को खोलकर तीनो लिफाफे क्रम के अनुसार खोले जावेगे अर्थात् सर्वप्रथम लिफाफा—(अ) खोला जावेगा। इसमें निर्धारित अर्नेस्ट मनी एवं फार्म की कीमत सही पाये जाने पर, लिफाफा—(ब) खोला जावेगा।

— लिफाफा—(ब) में पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज परिशिष्ट—2 के साथ रखे जावेगे। सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर ही लिफाफा—(स) दर पत्रक खोला जावेगा।

(9) सामान्य नियम एवं शर्ते (General Terms & Conditions)

- प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नही होगी।
- निविदा लिफाफा सीलबंद होना चाहिए।
- प्राईवेट डेयरी में संचालित वाहन अथवा प्राईवेट डेयरी में कार्यरत कर्मचारी की निविदा स्वीकृत नही होगी।
- निविदा दर वर्तमान दर से 5 प्रतिशत से कम होने पर, निविदा अमान्य किया जावेगा।
- अनुबंधित संकलन वाहन में शेड/हुड लगाना अनिवार्य है। वाहन में शेड/हुड नही पाये जाने पर प्रत्येक परिवहन देयक से रू. 5000/– कटौत्रा की जायेगी।
- महासंघ के संचालक मण्डल सदस्य या महासंघ में कार्यरत कर्मचारी के निकट रिश्तेदार की निविदा (महासंघ के उपनियम के अनुसार) स्वीकृत नही होगी।
- खुले हुए निविदा लिफाफा स्वीकार नही होगे।
- आवष्यकता होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु कार्यालय में लाना होगा।
- वाहन पूर्णतः निविदाकार के नाम से होना आवश्यक है, बिक्रीनामा वाहन मान्य नही होगा। सोल्ड वाहन वाले निविदाकारो को नया वाहन ही खरीदना अनिवार्य है, पुराने वाहन सोल्ड वाहन की श्रेणी में नही माना जाएगा।
- निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य आदेश जारी होने पर निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग पर दिये जाने वाले वाहन की प्रतिभूति राषि निम्नानुसार रहेगी–

क.	**वाहन का प्रकार**	**प्रतिभूति राशि**
1	ए.सी.ई./समकक्ष	– 30000.00 प्रति वाहन
2	मैक्स/पिकअप/समकक्ष	– 40000.00 प्रति वाहन
3	407/समकक्ष	– 60000.00 प्रति वाहन

- सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जावेगा एवं निविदाकार की शेष प्रतिभूति राशि को प्रथम तीन देयक से समान किस्तो में काटा जायेगा।
- महासंघ द्वारा निविदाकार से प्राप्त धरोहर एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

– दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। जिन मार्गो पर अनुबंध पश्चात् नये टोल टैक्स प्रारंभ होगे उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

– निविदा स्वीकृत होने पर रू. 100.00 के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेंपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

– अनुबंधित वाहन पर दुग्ध महासंघ का विज्ञापन तथा महासंघ का संपर्क नंबर लिखवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दर पर प्रदाय डिजाईन अनुसार विज्ञापन के देयक की पूर्ति दुग्ध महासंघ द्वारा की जावेगी।

– खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन ठेकेदार का होगा।

– निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक दुग्ध महासंघ के पास सुरक्षित रहेगा।

– संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने या दुग्ध टेंकर संचालित करने पर संकलन वाहन ठेकेदार को एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

– दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध उत्पन्न होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन हेतु भेजा जा सकेगा।

– संयंत्र/शीत केन्द्र/बी.एम.सी. में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र/बी.एम.सी. की समितियों में अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

– पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा कि वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें एवं यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

– अस्वीकृत निविदा की धरोहर राषि अंतिम निर्णय होने के पश्चात् वापसी योग्य होगी।

– निविदा एक/दो वर्ष की होगी। प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्ही शर्तो के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा। आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

– वाहन हमेशा साफ रखना अनिवार्य होगा। परिचालन के दौरान वाहन गंदी पाये जाने पर ऐसी प्रत्येक घटना पर रू. 500.00 का अर्थदण्ड परिवहन देयको से वसूल किया जावेगा।

– प्रत्येक वाहन में एक Dadicated मोबाईल उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन में कार्यरत स्टाफ (चालक / परिचालक) को यह मोबाईल रखना अनिवार्य होगा।

– सफल निविदाकार अनुबंध का कार्य मुख्यालय रायपुर (उरला संयंत्र) में वाहन चलाने के 15 दिवस पहले ही सम्पन्न कराना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त मार्ग के सफल निविदाकार की निविदा निरस्त मानी जाएगी।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त अनुबंध में वर्णित शर्ते निविदाकार को मान्य होगी।

(10) **संनिष्ठा संधि**

– निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न संनिष्ठा संधि अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

(11) **सीमांकन क्षेत्र (Arbitration)**

– किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में प्रबंध संचालक– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(12) **न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र (Judicial of Coart)**

– समस्त न्यायालयीन वाद का कार्यक्षेत्र रायपुर होगा।

परिशिष्ट–1

लिफाफा–(अ) अर्नेस्ट मनी डी.डी.

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। निविदा फार्म वर्ष 2026–27 ।।

(1) निविदाकार का नाम ------------------------------

(2) पिता का नाम ------------------------------

(अ) निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. ------------------------------

अक्षरी ------------------------------

जमा दिनांक –छांयाप्रति संलग्न ------------------------------

(ब) अर्नेस्ट मनी राशि रू. ------------------------------

अक्षरी ------------------------------

जमा दिनांक –छांयाप्रति संलग्न ------------------------------

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम----------

परिशिष्ट–2

लिफाफा–(ब) वाहन संबंधी कागजात

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। निविदा फार्म वर्ष 2026–27 ।।

(1) निविदाकार का नाम ------------------------------

(2) पिता का नाम ------------------------------

(3) वाहन का पंजीयन क्रमांक ------------------------------

(4) वाहन का प्रकार एवं क्षमता/मॉडल वर्ष ------------------------------
----

(5) वाहन का जीवित फिटनेस प्रमाण पत्र है (हाँ/नहीं)

(6) वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र का विवरण ------------------------------
----

(7) वाहन का जीवित बीमा प्रमाण पत्र है (हाँ/नहीं)

(8) वाहन का बीमा प्रमाण पत्र का विवरण ------------------------------
----

(9) बैंक का नाम ------------------------------

(10) बचत बैंक खाता क्रमांक ------------------------------

(11) आई.एफ.एस.सी. कोड नं. ------------------------------

(12) पेन कार्ड नं. ------------------------------

(उपरोक्त समस्त प्रणाम पत्रो की छायाप्रति संलग्न करें)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम------------

परिशिष्ट–3

लिफाफा–(स) दर प्रपत्र

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

।। निविदा फार्म वर्ष 2026–27 ।।

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध संकलन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है–

(1) निविदाकार का नाम ——————————————

(2) पिता का नाम ——————————————

(3) स्थायी पूरा पता ——————————————

——————————————

(4) दूरभाष / मोबाईल नंबर ——————————————

(5) निविदा विवरण–

मार्ग का नाम .... मार्ग विवरण ....

अनुमानित दूरी कि. मी. प्रतिदिन (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखे)	वाहन का प्रकार	क्षमता	मॉडल वर्ष	वाहन क्रमांक	दर प्रति कि.मी.

(अक्षरी रू.——————————————————————————————)

नोट– उक्त वाहन क्रमांक..वर्तमान में अन्य किसी भी मार्ग में संचालित नही है। अगर उक्त वाहन अन्य मार्ग में संचालित पाया जाता है,तो उक्त निविदा फार्म निरस्त माना जाये।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम——————

परिशिष्ट–4

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर

ग्राम–उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला–दुर्ग (छ0ग0)

दुग्ध संकलन मार्ग विवरण (01.04.2026 से 31.03.2027 / 31.03.2028 तक)

क्र.	मार्ग क्रमांक	मार्ग विवरण	वाहन का प्रकार	क्षमता टन	कुल कि.मी. प्रतिदिन
	उरला डेयरी से संबद्ध मार्ग				
1	4 शटल	बड़गांव–खौली–नारा–टेकारी–बड़गांव	टाटा ए.सी..ई.	1.0	96
2	5 शटल	बंगोली से मढ़ी	टाटा ए.सी..ई.	1.0	58
3	8 संकलन	सरदा–बारगांव–बेरला	टाटा ए.सी..ई.	1.0	110
4	8 शटल	माटरा–मावलीभाठा	टाटा ए.सी..ई.	1.0	140.8
5	8 शीतलीकृत	सरदा–मावलीभाठा–उरला डेयरी	टाटा 407	3.0	123
6	बीजागोड़ + खैरागढ शीतलीकृत	बीजागोड़–खैरागढ़–सण्डी–उरला डेयरी	टाटा 407	3.0	225
	दुग्ध शीत केन्द्र बसना से संबद्ध मार्ग				
7	बसना 6–सी	कुटेला–भोथलडीह–टेंगनापाली–देवानपाली	टाटा ए.सी..ई.	1.0	60
8	मोहदा–1	कुटेला–नवापाली–लिमगांव–बोंदा–परसदा	पिकअप	1.5	150
9	के.डी.–1	डुडुमचुवा–बिजातीपाली–जलपुर–केदुवा	टाटा ए.सी..ई.	1.0	40
10	के.एन.–1	कुटेला–बलौदा–सेमलिया–सिरपुर–पालीडीह	पिकअप	1.5	128
	सारंगढ से संबद्ध मार्ग				
11	बरपाली–1	अमलीपाली–नवागांव–बरपाली	पिकअप	1.5	116
12	बरपाली–2	कोसमडीह–देवगांव–पंचधार–बरपाली	पिकअप	1.5	82
13	गोबरसिंघा–1	कोतमरा–डभरा–गोबरसिंघा	पिकअप	1.5	192
14	मल्दा ब संकलन	टिमरलगा–कपिस्दा ब–सिंगारपुर–मल्दा ब	पिकअप	1.5	130
15	सारंगढ–1	खर्री बड़े–डोंगिया–खर्री	पिकअप	1.5	190
	चुरेगांव बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग				
16	चुरेगांव बी.एम.सी.	चुरेगांव संकलन	टाटा ए.सी..ई.	1.0	130
	दुग्ध शीत केन्द्र धमतरी से संबद्ध मार्ग				
17	धमतरी–02	चारवाही–भरदा–फागुनदाह–धमतरी	पिकअप	1.5	184
18	धमतरी–05	संकरी–सिलघट–टिपानी–धमतरी	पिकअप	1.5	172
19	धमतरी–04	खरेंगा–भोथली–बोडरा	पिकअप	1.5	148
20	धमतरी–07	भेण्डरा–मडाईभाठा –तरसिंवा–भानपुरी	पिकअप	1.5	76

वाहन का प्रकार	क्षमता	संख्या
(1) 407	3.0 MT	02
(2) पिकअप	1.5 MT	11
(3) ए.सी..ई.	1.0 MT	07
	योग	20

दुग्ध संकलन कार्य हेतु अनुबन्ध

फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती .... निवासी .... है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक ————————— मार्ग विवरण ————————————————————————————————— द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन क्रमांक——————————————————माडल —————————— भार वाहन क्षमता———————————— टन, रूपये ——————— शब्दों में ——————————————————————————————— प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी —————————— कि.मी. आज दिनांक —————————— जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध संकलन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :—

(1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ———————— से ———————— तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा । आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है ।

(2) इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा । शर्तों में जहां — जहां संस्था शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित एवं जहां—जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला— दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य डेरी डाक उरला, जिला— दुर्ग होगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत शीत केन्द्र शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य दुग्ध शीत केन्द्र बसना, धमतरी, पखांजूर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भाठागांव, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, कबीरधाम एवं बी.एम.सी. टप्पासेवईया, गोड़बहाल, छिलपावन, नरतोरा, कसहीबहरा, खुटेरी, जोरातराई, कौहाकुड़ा, उमरिया, मोहदा, केदुवा, अमलीडीपा, केना, रंगोरा, भगतदेवरी, लेन्ध्रा, बरपाली, गोबरसिंघा, अमझर, बनहर, लखौली, अमेरा, रोहांसी, कोसरंगी, रावण, श्यामनगर, बम्हनीडीह, सहदेवनगर, अर्जुन्दा, खैरागढ़, बड़गांव, बंगोली, सुंगेरा, मावलीभाठा, सरदा, बीजागोड़, चुरेगांव, डौंडीलोहारा, संडी, सिमगा, खिलोरा, ढांक, बावनकेरा, बांदे एवं बाद में प्रारंभ किये जाने वाले बी.एम.सी. से होगा।

(3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि जिसमें ए.सी.ई/समकक्ष हेतु रूपये 30000/— (अक्षरी रूपये तीस हजार मात्र), मैक्स/पिकअप/समकक्ष हेतु रूपयें 40000/— (अक्षरी चालीस हजार रूपयें मात्र) एवं 407/समकक्ष हेतु रूपये 60000/— (अक्षरी साठ हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला—दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर प्रथम तीन परिवहन देयक से समान किश्तो में प्रतिभूति राशि कटौत्रा की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर संबंधित दुग्ध समितियों से/क्षेत्राधिकारी/ग्रामीण विस्तार संगठकों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर राशि की वापसी हेतु आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा तथा लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा । द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समाप्त या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित दुग्ध समितियों से अदेय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(4) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर धुले, खाली केन ढक्कन सहित नामांकित संस्थाओं को पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढ़क्कन सहित डेयरी तक लाने की जावबदारी व्दितीय पक्ष की होगी । इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार को (व्दितीय पक्ष) द्वारा मान्य होगी । समितियों द्वारा दूध केनों को सील्ड कर भेजा जाता है उन सभी केनों को सील्ड डेयरी डाक तक मापतौल होने तक सुरक्षित रखने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी । केन सील्ड टूटे अथवा बदले पाये जाने पर एवं ऐसी दशा में समिति से हानि की शिकायत प्राप्त होने पर हानि की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली जावेगी । मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाये जाने पर द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित सूचना महासंघ को उसी दिन एवं उसी पाली में देनी होगी, जिसकी जांच महासंघ द्वारा की जायेगी । केन व ढक्कन प्राप्ती एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को देना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में या गुम हो जाने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर निदान करना होगा । निदान न होने कि स्थिति में संस्थाओं के एल्यूमिनियम केन मय ढक्कन की राशि रू. 4000.00 (अक्षरी चार हजार मात्र) जिसमें केन की राशि रू. 3500.00 + ढक्कन की राशि रू. 500.00) तथा स्टेनलेस स्टील केनमय ढक्कन की राशि रू.4500.00 (अक्षरी चार हजार पांच सौ मात्र, जिसमें केन की राशि 4000.00 + ढक्कन की राशि 500.00) वाहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी । इस हेतु महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । महासंघ द्वारा संस्थाओं को दिये जाने वाले सामान पशु आहार, घी, घास बीज, संस्था में लगने वाले मिल्को टेस्टर, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, दुग्ध संग्रहण व जांच उपकरण सामान एवं लेखन सामग्री, रजिस्टर, एसिड, अलकोहल एवं अन्य सामान डेयरी से ले जाने व संस्था में उतारने, उसका लेखा जोखा महासंघ द्वारा बताये अनुसार द्वितीय पक्ष को रखना होगा । उक्त सामान गुम होने पर नुकसान होने अथवा उसी दिन उसी पाली में संस्था को न पहुंचाये जाने की स्थिति में उस सामान की पूरी कीमत एवं रूपये 50/— प्रति समिति दण्ड लगाकर व्दितीय पक्ष से वसूल की जायेगी ।

(5) किसी दशा में डेयरी पर वाहन समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर होने वाले समस्त नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त यदि संकलित दूध का 50 प्रतिशत से अधिक खट्टा/फटा दूध डेयरी डाक पर प्राप्त होने पर परिवहन भाड़े से 50 प्रतिशत का कटौत्रा किया जायेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

(6) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।

(7) किसी भी कारण से यदि संकलन मार्ग पर दुग्ध संकलन कार्य बंद रहता है तो व्दितीय पक्ष को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी ।

(8) दुग्ध वाहन निर्धारित समय से डेयरी डाक पर न पहुंचने की स्थिति में प्रत्येक 15 मिनट के लिए रू. 25/—अक्षरी रूपये पच्चीस मात्र/या खट्टे/फटे दूध से होने वाली हानि की राशि का जो भी अधिक हो द्वितीय पक्ष से बसूला जायेगा ।

(9) किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में ठेकेदार सम्मिलित नही हो सकेगा, दुग्ध परिवहन नियमित दिन में दो बार करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(10) ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो परीक्षण परिणाम होगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।

(11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा । इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री आवश्यकतानुसार वाहन में रखी जा सकेगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राषि देय नही होगी।

(12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा । महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा एवं पूर्व में महासंघ एवं संस्था स्तर पर दूध की मात्रा तथा परीक्षण परिणाम में होने वाले अंतर की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काट ली जायेगी । लगातार तीन बार षिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राषि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षो तक महासंघ की निविदायो में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यदि महासंघ द्वारा दिये निर्धारित दिनांक तक समिति में सप्लाई होने वाला सामान व्दितीय पक्ष द्वारा समिति पर नहीं पहुंचाया जाता है तो महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर सामान पहुंचायेगा, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।

(13) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे । लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा । ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है ।

(14) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(15) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के संकलन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा, या इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है । ठेके की अवधि में किसी दिन द्वितीय पक्ष अपने दुग्ध संकलन मार्ग की संस्थाओं की संकलित दूध परिवहन हेतु वाहन नहीं भेज पायेगा तो ऐसी परिस्थिति में हानि के रूप में उस दिन संस्थाओं द्वारा संग्रहित दूध का समस्त मूल्य एवं संस्थाओं के हेडलोड की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । उक्त स्थिति में परिवहन महासंघ द्वारा किया जाता है तो उस वाहन का अतिरक्त भुगतान भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल किया जायेगा । द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा । बिना अनुमति के वाहन बदलने पर निराकरण न होने की दशा में देयक से 50 प्रतिशत राषि कटौत्रा की जायेगी एवं समस्त हर्जाने के जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होंगा ।

(16) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों को भुगतान किया जायेगा । प्रथम पखवाड़े को देयक दिनांक 20 को दिये जाने पर 30 तारीख तक भुगतान किया जावेगा । इसी तरह द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिये जाने पर दिनांक 15 तक भुगतान किया जावेगा ।

(17) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा संस्था व महासंघ के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी । कार्यवाही नहीं करने की दशा में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी । वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन–देन नहीं किया जावेगा और न ही ऐसी किसी राशि का कटौत्रा महासंघ द्वारा उनके देयक से किया जावेगा इसके उपरांत यदि लेन–देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारी की होगी ।

(18) महासंघ एवं संस्थाओं द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक मांग पत्र एवं फैट—वैट स्लिप उसी दिन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । ऐसा न करने पर महासंघ द्वारा प्रतिपाली प्रति संस्था के हिसाब से रू. 5/— (अक्षरी रूपये पांच मात्र) द्वितीय पक्ष के बिल से वसूल किये जावेगे ।

(19) "वर्षा, प्राकृतिक विपदा एवं अन्य उचित कारण से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में पंचनामा प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा लिया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से मान्य होगा ।"

(20) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 10000/— (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) हस्तातंरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तातंरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

(21) दुग्ध वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए द्वितीय पक्ष को वाहन पर हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार दूध से भरे केनों पर खाली बोरी रखकर उस पर पानी छिड़कने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा वाहन समय पर आने के बावजूद यदि दूध खट्टा/फटा होता है तो हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जायेगी । हूड एवं त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर प्रबन्ध संचालक को विवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

(22) महासंघ के अधिकारी अथवा सुपरवाइजर द्वारा मार्ग के चेकिंग के दौरान दुग्ध वाहन के कर्मचारियों के द्वारा दूध में गड़बड़ी करते अथवा कराते हुए पाया गया तो मार्ग पर पड़ने वाली सभी संस्थाओं की ठेके के दौरान दूध में जो कमी आयी है व अन्य हानि हुई है वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जायेगी । इस संबंध में महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । इसी प्रकार दुग्ध समितियों या अन्य जन सामान्य द्वारा वाहन में दूध की हेराफेरी करते हुए पाये जाने पर, उनके फोटो के आधार पर उक्तानुसार हानि की वसूली की जावेगी एवं ठेका निरस्त कर काली सूची में अंकित किया जावेगा।

(23) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इसी वजह से महासंघ या संस्था को हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।

(24) डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाले वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

(25) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों मे स्वयं करने पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है, तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर आपसी चर्चा द्वारा अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
ए.सी.ई.	22
मैक्स/पिकअप	15
डी.आई. 207	15
407	10

इस प्रकार औसत कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राषि की गणना तदानुसार वाहन की दरों में वृद्धि/कमी प्रत्येक तीन माह में प्रभावशील डीजल दर से प्रति कि.मी. कमी या वृद्धि की जावेगी।

(26) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा । यदि तीन माह पूर्व की सूचना नही दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(27) वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों में यदि वाहन संस्था तक नही जा सके तो हेडलोड की व्यवस्था महासंघ द्वारा की जावेगी, जिसका भुगतान हेडलोड दूरी के लिए हेडलोड राशि का भुगतान महासंघ द्वारा दुग्ध देयक के माध्यम से संस्था को किया जावेगा एवं कि.मी. के अंतर की राशि का कटौत्रा ठेकेदार के देयक से किया जायेगा ।

(28) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा । साथ ही डेयरी/शीत केन्द्र में खाली केन वाहन में भरना, संस्था पर खाली केन उतारना, दूध भरे केन डाक पर उतारना, साथ ही केन के उपर रखी बोरी में बाहर से पानी छिड़कने आदि का कार्य करेगा । दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा लाइसेंसषुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा । यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलंम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे की दुग्ध समितियों के सचिवों एवं हेडलोडरो को उनके सम्पर्क नंबरो पर अवगत कराना होगा।

(29) दुग्ध वाहन में प्रति पाली ट्रक शीट संस्था के फैट एवं वेट स्लिप दुग्ध वाहन चालक को ले जाना अनिवार्य होगा । वाहन चालक द्वारा ट्रक शीट संस्था के कर्मचारीयों से/हेडलोडर से भराया जावेगा, ऐसा न करने पर वाहन के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगी । ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होगा । डेयरी डाक में वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन प्रतिपाली ट्रक शीट से संबंधित दूध पर्ची व मांग पत्र, ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में संस्थाओं द्वारा प्राप्त शिकायत मान्य होगी व इसी आधार पर द्वितीय पक्ष से संस्था की हानि की राशि वसूली जायेगी ।

(30) महासंघ द्वारा प्रदाय समस्त सामग्री रसीद/पावती द्वितीय पक्ष के चालक अथवा कन्डेक्टर द्वारा भण्डार के चालान दुग्ध समितियों से प्राप्त कर भण्डार शाखा में देना होगा व महासंघ द्वारा भेजी गयी डाक की पावती भी देनी होगी ।

(31) महासंघ द्वारा निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार महासंघ को रहेगा । इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।

(32) उपरोक्त शर्तों का पालन करने या महासंघ द्वारा समय–समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का ठेकेदार पालन करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।

(33) दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनायें दूध विक्रय हेतु नही है इस तरह की पट्टियां जिसमें काली पट्टी पर सफेद अक्षरो से अंकित पेंट की हुई लगाना होगा। महासंघ द्वारा दिये गये विज्ञापन प्लेट/पत्र पेटी अपने स्वयं के खर्चे पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी वाहन पर लिखना आवश्यक है ।

(34) यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फैट की कमी की शिकायत महासंघ कार्यलय को प्राप्त होती है तो महासंघ के अधिकारी या पर्यवेक्षक सप्ताह में तीन दिन तक उक्त मार्ग के दूध वाहन में साथ जायेंगे । अधिकारी या पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न रहने पर उन दिनों के यदि किसी भी संस्था/समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर दूध या फैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है । संस्था/समिति को हुए नुकसान की राशि अनुबन्ध की शर्त क्रमांक 23 के अनुसार संबंधित मार्ग के परिवहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी ।

(35) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्कता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सके ।

(36) दुग्ध संकलन वाहनों से मार्ग पर दुग्ध वितरण का कार्य भी किया जा सकेगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राषि का भुगतान नही किया जावेगा।

(37) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारीयां/मुआवजा की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

(38) महासंघ द्वारा समितियों को प्रदाय करने हेतु दी गई सामाग्री के चालान की कापी पर संस्था कर्मचारियों के हस्ताक्षर सील सहित पूर्ण कराकर हस्ताक्षरित चालान पुनः महासंघ कार्यालय में जमा करना होगा । हस्ताक्षरित चालान जमा न करने पर संबंधित संस्था को भेजे गए सामान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकती है ।

(39) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय–समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होगा । ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौत्रा के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेषन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेषन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा।

(40) डेरी डाक/शीत केन्द्र पर दुग्ध संकलन के पश्चात् धुले हुए खाली केन, नाम लिखने एवं अन्य कार्य हेतु दो घंटे तक रोके जा सकेगें तथा यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही वाहन को खाली केन प्रदाय किये जायेंगे । इस अवधि में दूध परिवहन वाहन डेयरी/शीत केन्द्र पर रोका जा सकेगा ।

(41) अनुबन्ध की शर्तो को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों मे परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी ।

(42) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।

(43) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा,साथ ही मुख्यालय में वाहन ठेकेदार को मूल दस्तावेज के साथ स्वयं ही उपस्थित होकर अनुबंध सम्पन्न कराना होगा।

(44) दूध से भरे केनो की अधिकतम संख्या निम्नानुसार रहेगी—

क्र.	वाहन का प्रकार	केन की संख्या
1	ए.सी.ई.	30
2	मैक्स/पिकअप	40
3	डी. आई. 207	40
4	407 (3 टन)	75

अनुबंधित वाहन में उक्त अधिकतम क्षमता से अधिक केन भी लाये जा सकेगें। जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

(45) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए, ऐसे वाहन चालको की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावें।

(46) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निष्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नही चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

(47) दुग्ध संयंत्र/दुग्धषीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/षीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(48) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

(49) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने या टेंकर का परिचालन करने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

(50) विषेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिषत का कटौत्रा किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नही होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नही लगाया, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राषि राजसात की जा सकेगी।

(51) महासंघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नही पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नही करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राषि एवं उस दूध को डेयरी डाक/षीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राषि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। इसी प्रकार हेडलोड के समय पर नही पहुंचने पर 05 मिनट इंतजार कर अगले पाईन्ट पर जायेगा।

(52) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(53) डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेगें, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने–धोने जैसे कार्य नही करेगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नही किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो महासंघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर के अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगा।

(54) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. .... संबंध .... उम्र .... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. .... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।

(55) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राषि महासंघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राषि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

(56) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेषा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(57) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओ को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राषि राजसात कर लेवे।

(58) संकलन वाहन में परिवहन के समय दूध के केन के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नही रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राषि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राषि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।

(59) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा में ही दर सम्मिलित करें। जिन मार्गो पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

(60) निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का भाग माना जावेगा।

(61) उपरोक्त के अतिरिक्त ठेका अवधि में दुग्ध महासंघ में प्रचलित नियम निर्देष लागू होगे।

(62) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

(63) सफल निविदाकार अनुबंध का कार्य मुख्यालय रायपुर (उरला संयंत्र) में वाहन चलाने के 15 दिवस पहले ही सम्पन्न कराना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त मार्ग के सफल निविदाकार की निविदा निरस्त मानी जाएगी।

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा की शर्त एवं नियम 01 से 63 तक मैने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है, जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है ।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ———————— को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि प्रति वाहन ए.सी.ई. हेतु रू. 30000.00, पिकअप हेतु रू. 40000.00 एवं 407 वाहन हेतु रू. 60000.00 में से अर्नेस्ट मनी समायोजन पष्चात् शेष प्रतिभूति रायिा को प्रथम तीन परिवहन देयक से समान किश्तो में कटौत्रा किया जावेगा।

मैं .... द्वितीय पक्षकार अनुबंध की शर्तो का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होषोहवाष में कर लिया है एवं निम्न साक्षियो के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

हस्ताक्षर

अनुबन्धकर्ता
नाम ————————————————
पता ————————————————
————————————————
————————————————

गवाह प्रबन्ध पक्ष

1— हस्ताक्षर——————————
नाम ——————————
पता ——————————
——————————

2— हस्ताक्षर——————————
नाम ——————————
पता ——————————

अनुबन्धकर्ता के गवाह

1—हस्ताक्षर——————————
नाम ——————————
पता ——————————
——————————

2—हस्ताक्षर——————————
नाम ——————————
पता ——————————

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी—
उनकी पत्नी का नाम—
हस्ताक्षर—
हमारा स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)—

<u>निविदा हेतु अ, ब, स एवं द लिफाफा के उपर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप</u>

(1) **<u>लिफाफा–''अ''</u>**

दुग्ध परिवहन निविदा हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी

(2) **<u>लिफाफा–''ब''</u>**

पात्रता संबंधी दस्तावेज– वाहन के पेपर, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि की छायाप्रति।

(3) **<u>लिफाफा–''स''</u>**

दुग्ध संकलन कार्य हेतु निविदा दर पत्रक

(4) **<u>बड़ा लिफाफा–द में लिफाफा अ, ब, एवं स को डाले</u>**

दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु निविदा
दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक .... व मार्ग विवरण ....

प्रेषक–
नाम ....
पता ....
..
मो.नं. ....

प्रति,
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम–उरला, पोस्ट बी.एम.वाय. चरौदा
जिला–दर्ग (छ0ग0) पिन कोड 490025